

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 614 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Rasesh B. Vissanji & Ors..

.....Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

... Respondents

**RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF
UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY THE
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL VIDE ITS ORDER DATED 25.04.2023.**

P A P E R - B O O K
I N D E X

<u>Srl</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Response by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand, in compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 25.04.2023.	
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> : A true copy of the order dated 25.04.2023	
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> : A true copy of G.O. No.572/III-(2)/06-08 (Pra.AA.)/06 dt. 28.03.2006	
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> : A true copy of letter dt. 17.11.2020	
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> : A true copy of letter dt. 22.10.2021	
6.	<u>ANNEXURE R-5</u> : A true copy of letter dt. 06.12.2021	
7.	<u>ANNEXURE R-6</u> : A true copy of letter dt. 27.11.2021	
8.	<u>ANNEXURE R-7</u> : A true copy of Contract dt. 07.05.2022	
9.	<u>ANNEXURE R-8</u> : A true copy of letter dt. 07.11.2022	
10.	<u>ANNEXURE R-9</u> : A true copy of letter dt. 25.01.2023	
11.	<u>ANNEXURE R-10</u> : A true copy of letter dt. 23.03.2023	
12.	<u>ANNEXURE R-11</u> : A true copy of letter dt. 17.02.2023	
13.	<u>ANNEXURE R-12</u> : A true copy of letter dt. 15.3.2021	
14.	<u>ANNEXURE R-13</u> : A true copy of letter dt. 20.07.2022	
15.	<u>ANNEXURE R-14</u> : A true copy of letter dt. 05.08.2022	

Filed by:



[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 614 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Rasesh B. Vissanji & Ors..

.....Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

... Respondents



RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE OF DIRECTIONS PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL VIDE ITS ORDER DATED 25.04.2023.



I, Vibhor Gupta S/o Shri R.K. Gupta aged about 33 years, presently posted as Executive Engineer, Construction Division, PWD, Almora, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:


IDENTIFIED BY ME
Damini
AAR Pwd Almora

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand.



Signed
05/08/23

2. That the abovementioned matter was listed on 23.09.2022 before this Hon'ble Tribunal, that in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal passed vide order dated 23.09,2022, the Joint Committee visited proposed site on 09.11.2022. It is relevant to mention herein that the applicant Shri Rasesh B Vissanji was informed about the inspection but he was not present at the time of inspection. The joint inspection committee submitted its report and the same is part of the record of this Hon'ble Tribunal.
3. That, thereafter, the matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 06.01.2023 and in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, Report by way of Affidavit on behalf of District Magistrate, Almora and Affidavit in compliance of the directions on behalf of Public Works Department were also filed and the same are part of record of this Hon'ble Tribunal.
4. That, thereafter, the matter was listed on 25.04.2023 before this Hon'ble Tribunal, after hearing this Hon'ble Tribunal was



Signature
05/08/23

pleased pass the following directions:-


"1. The grievance of the applicants in the present application is about illegal cutting of trees by using JCB for construction of proposed 6 Kms of Chitai Manjoli Petshal National Highway and disposal of construction material (muck) illegally on fertile agricultural land of poor farmers damaging the crops.

2. Vide order dated 23.09.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of representatives of the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), the Executive Engineer, PWD, Almora, the DFO and the District Magistrate, Almora and directed the same to verify the factual position and submit its report within one month.

3. In compliance of order dated 23.09.2022, Factual and Action Taken Report of the Joint Committee was submitted by UKPCB vide email dated 04.01.2023.

4. Vide order dated 06.01.2023 notices were issued to respondents no. 1 to 5 for filing of their reply/response and in compliance thereof report/response has been filed by the District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand.

5. The Joint Committee has mentioned in its




Signature
05/08/23

report that Government of Uttarakhand had accorded administrative and financial approval of Rs.200.16 lakh for construction of alternative road of 8.0 Km from Chatai Pant Tiraha to Petshal (District Almora) and integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun had accorded approval of non-forest use of land measuring 2.43875 hectare.

6. In report/response filed by the District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand it has been mentioned that land measuring 4.83 hectare has been identified at Manila compartment no. 23 District Almora, Uttarakhand for compensatory afforestation and amount of Rs. 16,45,458/- has been deposited by the Construction Division, PWD, Almora for the same but the matter is stated to be pending for approval.

7. The Construction of the road is also stated to have been stopped and the villagers have also complained about the same.

8. In the present case it is needless to so clarify but we do it for the sake of propriety/abundant caution that (i) this Tribunal had not passed any order staying/stopping construction of the road and (ii) that the aspects of construction of road as well as compensatory afforestation, which required prompt action for redressing grievance of the residents of the



Signature
05/08/23

locality as well as restoration of the environment, have not been appropriately adverted to.

9. It is also pertinent to observe that the aspects of illegal cutting of the trees and dumping of the muck have also not been appropriately dealt with.

10. The District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand are directed to file replies with requisite details regarding (i) Construction of Road, (ii) Compensatory afforestation, (iii) Cutting of the tree and (iv) disposal of the muck.


.....”

A true copy of the order dated 25.4.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-1.

5. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following Response by way of Affidavit is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal:-

(I) Construction of Road-

(a) That the State Government has accorded the administrative and financial approval for construction of 8.00 kilometer alternative motor road from Chatai




Raghu
05/08/23

Pant Tiraha to (beyond the Hari Dutt Petsali Inter College) to Petshal vide Government Order No.572/III-(2)/06-08 (Pra.AA.)/06 dated 28.03.2006 by sanctioning Rs.200.16 Lakhs. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-2.

(b) That for the construction of the abovementioned motor road, the Regional Office (North-Central Region), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun vide its letter no. 8B/U.C.P./06/125/2015/ F.C.1765 dated 17.11.2020 has accorded in-principal approval. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-3.

(c) That the alignment of said motor road was approved by the Superintendent Engineer, (First) PWD, Almora vide its letter no. 7624/204 C-01/2021 dated 22.10.2021. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-4.

(d) That the Superintendent Engineer, (First) PWD, Almora vide its letter no. 8163/204 C-01/21-22 dated



Signature
05/8/23


06.12.2021 accorded the technical approval for length of road 3.250 kilometer and cost of Rs.200.16 Lakhs. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-5.

(e) That the office Superintendent Engineer, (First) PWD, Almora invited the tender for the abovesaid purpose vide its letter no. 8365/Nivida-01/21 dated 27.11.2021. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-6.

(f) That the Contract No.01/S.E./01/22 dated 07.05.2022 was prepared for the abovesaid purpose to Shri Shivraj Singh Banaula, Almora. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-7.

(g) It is pertinent to mention herein that due to increase in the prices of the articles, the construction of abovesaid road is being done for the length of 3.00 kilometer against the length of 8.00 kilometers.


(h) That the Public Works Department has sent the online proposal for due-approval vide its letter No.3414/3C.



[Handwritten Signature]
05/08/23

V. Bhu. Dated 07.11.2022 to the Divisional Forest Officer, Almora as per conditions contained in the in-principal approval granted by Government of India. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-8.

- (i) That the Regional Office (North-Central Region), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, Dehradun vide its letter no. 8B/U.C.P./06/125/2015/ F.C./1449 dated 25.01.2023 has suspended in-principal approval with immediate effect and had written for clarification on three points. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-9. The Construction of the work will be started with immediate effect as well as in-principal approval is granted.
- (j) That it is relevant to mention herein that the office of Executive Engineer, P.W.D. Almora vide its letter No. 978/3C (Court Case) Dated 23.03.2023 the report on the three points as desired by the Regional Office




Signature
05/08/23

Ministry of Environment, Forest & Climate Changes, Government of India, has already been sent to the Divisional Forest Officer, Almora, the abovesaid Report has been sent by the Additional Principal Chief Conservator of Forest and Nodal Officer, Conservator of Forest, Uttarakhand Dehradun vide its letter No.2374/FP/UK/ROAD/9220/2015 Dehradun dated 15.04.2023 to the Additional Principal Conservator of Forest, Government of India for further proceedings/ action. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-10.

(k) That the work is stopped due to the suspension of in-principal approval as already mentioned above.

(II) Compensatory Afforestation-

(a) That it is respectfully submitted that with regard to the compensatory afforestation, the land measuring 4.83 Hectare has been identified at Manila compartment No. 23 District Almora, Uttarakhand and the proposal for the same has



Signature
05/08/23


already been enclosed.

(b) It is further respectfully submitted that the Construction Division, PWD, Almora has deposited an amount of Rs.16,45,458/- (Rupees sixteen lakhs forty five thousand four hundred & fifty eight only) at the rate of Rs. 03,37,184.00 (Rupees three lakhs thirty seven thousand one hundred and eighty four only) towards NPV and compensatory forestry cost to the Forest Department on dated 16.03.2021.

(c) It is respectfully submitted that the Baanj, Falyat, Tejpat, Malta, Neebu Utis, Bhimal and Dadim etc. species tree has to be planted.


(d) Land measuring 4.83 hectare situated at compartment No. 23 in Manila, District Almora, Uttarakhand.

(e) The compensatory afforestation will be completed within one year from the date of receiving of due approvals.



Signature
05/08/23

- (f) The provision has been made in plantation scheme for wall around area of the planted trees for the security of the planted trees, and sweeping will also be made from time to time for the area of 04-04 meters outside the area of security wall.
- (g) That for the maintenance of the compensatory afforestation area, the work of weeding will be done two times in a year as well as the dry grass and leafs and other flammable articles will be removed from the area.
- (h) That it is pertinent to mention herein that for the abovesaid work, the detailed report has already been sent by Divisional Forest Officer, Almora vide its letter No.4092/29-1 Almora dated 17.02.2023 to the Principal Chief Conservator of Forest (Hoff), Uttarakhand, Dehradun. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-11.




See gantt
05/08/23

(III) Cutting of the Trees-

(a) That it is respectfully submitted that in continuation of Demand Note vide letter No.5076/12-1 (2) dt.15.3.2021 of Divisional Forest Officer, Almora a sum of Rs.32,47,715.00 (Rupees thirty two lakhs forty seven thousand seven hundred and fifteen) has already been deposited in favour of Forest Department on 16.03.2021. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-12.

(b) That the Divisional Forest Officer, Almora vide its letter No.414/9-1 (2) Almora dated 20.07.2022 sent to Divisional Logging Manager, Uttarakhand Forest Development Corporation, Almora has transferred the list of trees for the abovesaid purpose and the action has been taken for lot transfer. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-13.

(c) That in continuation of demand note vide letter No.582/Vikas Karya Praklan dated 05.08.2022 of




Signature
05/08/23

Divisional Logging Manager, Uttarakhand Forest Development Corporation, Almora, an amount of Rs.22,78,091.00 has been deposited in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation on 05.11.2022 for felling / transportation of trees. Copy of the same is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-14.

(IV) Disposal of the Muck-

(a) That the work of muck disposal is being done at Hectometer 2-4 of one kilometer of road, Hectometer 4-6 of two kilometer of road, Hectometer 8-10 of three kilometer of road is being



Signature
05/08/23

done in wire-crate and after constructing of Wall in in dumping Zone in Naap land with the permission of the villagers. The work of muck disposal of remaining cutting will be done in wire-crate and after constructing of Wall in dumping Zone in Naap land with the permission of the villagers.

6. That it is pertinent to mention herein that due to excessive damage on the Almora-Ghat National Highway no.309 from Chitai to Petshal, specially on the place namely Kaalidhar, many accidents and causalities happened in the past time due to very bad grade, width and curve of the road.
7. That it is respectfully submitted that proposed motor road from Chatai Pant Tiraha to (beyond the Hari Dutt Petsali Inter College) to Petshal is a very important road. For construction of the proposed road the villagers and public representatives are regularly demanding/ approaching the Government and the same is in larger public interest. By construction of the abovesaid proposed road, the villagers of villages Chitai Pant, Chitai Tiwari, Manyoli, Poonakot, Petshal Badi, Paatal Dev will



Signature
05/08/23


be benefited for education, medical facility and agriculture etc. in very short time they will reach their destination, as the farmers can take their produces to main highway/ main market etc. as well as the transportation charges will decrease for villagers, thereby the economical and financial condition will be better for the poor villagers, as well as they will get better prices of their produces after going to the main market in a less time, and it is very important to state herein that migration will also be stop after construction of the proposed road.

8. That the present Response by way of Affidavit in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

Ragunath
05/08/23
DEPONENT

VERIFICATION


I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false



Ragunath
05/08/23

and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Almora, Uttarakhand on this 5th day of August, 2023.



Certified that Sri/Smt. Vibhor Gupta
the deponent identified by Sri. Rani Dani
sworned & verified the contents of
this affidavit at Almora
on date 05-08-23 at 12:07 P.M.

DEPONENT

Filed through:

Chandra Shekhar Kapkoti
Notary
H. Q. - ALMORA (U. K.)
Reg. No-29(02) 2017

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]

Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondents

137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091

Mobile No. 9717706032

Email-advrahulverma9999@gmail.com

Signature
05/08/23

Item No. 5

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid VC Option)

Original Application No.614/2022

Rasesh B Vissanji & Others

...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

Date of hearing: 25.04.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: None.

Respondents: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand-
Respondents No. 1 to 3 and 5(through VC).
Mr. MukeshVerma, Advocate for UKPCB-Respondent No.
4.

Application is registered based on a letter petition received by post.

ORDER

1. The grievance of the applicants in the present application is about illegal cutting of trees by using JCB for construction of proposed 6 Kms of Chitai Manjoli Petshal National Highway and disposal of construction material (muck) illegally on fertile agricultural land of poor farmersdamaging the crops.

2. Vide order dated 23.09.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of representatives of the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), the Executive Engineer, PWD, Almora, the DFO and the District Magistrate, Almoraand directed the same to verify the factual position and submit its report within one month.

-2-

3. In compliance of order dated 23.09.2022, Factual and Action Taken Report of the Joint Committee was submitted by UKPCB vide email dated 04.01.2023.
4. Vide order dated 06.01.2023 notices were issued to respondents no. 1 to 5 for filing of their reply/response and in compliance thereof report/response has been filed by the District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand.
5. The Joint Committee has mentioned in its report that Government of Uttarakhand had accorded administrative and financial approval of Rs.200.16 lakh for construction of alternative road of 8.0 Km from Chatai Pant Tiraha to Petshal (District Almora) and integrated Regional Office, MoEF&CC, Dehradun had accorded approval of non-forest use of land measuring 2.43875 hectare.
6. In report/response filed by the District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand it has been mentioned that land measuring 4.83 hectare has been identified at Manila compartment no. 23 District Almora, Uttarakhand for compensatory afforestation and amount of Rs. 16,45,458/- has been deposited by the Construction Division, PWD, Almora for the same but the matter is stated to be pending for approval.
7. The Construction of the road is also stated to have been stopped and the villagers have also complained about the same.
8. In the present case it is needless to so clarify but we do it for the sake of propriety/abundant caution that (i) this Tribunal had not passed any order staying/stopping construction of the road and (ii) that the aspects of construction of road as well as compensatory afforestation, which required prompt action for redressing grievance of the residents of the locality as well as restoration of the environment, have not been appropriately adverted to.

9. It is also pertinent to observe that the aspects of illegal cutting of the trees and dumping of the muck have also not been appropriately dealt with.

10. The District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand are directed to file replies with requisite details regarding (i) Construction of Road, (ii) Compensatory afforestation, (iii) Cutting of the tree and (iv) disposal of the muck.

11. Reply/response be filed within infour weeks at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

12. A copy of this order be sent to the PCCF, Uttarakhand, the District Magistrate, Almora and PWD, Uttarakhand by email for requisite compliance.

13. DFO, Almora Forest Division, Almora be remain present physically present through VC on the next date of hearing.

14. List for further consideration of 18.08.2023.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

April 25, 2023
N

4
17 TRUE COPY

श्री 10 नं. 1
सूचना संख्या
संख्या संख्या संख्या

सूचना संख्या संख्या-1
संख्या संख्या संख्या

लोक निर्माण अनुभाग-2
विषय- वित्तीय वर्ष 2005-06 में 232(दो सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2006

संगत विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 232 कार्यों की लागत ₹ 12255.19 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पार्षी गयी 232 कार्यों पर रुपये 11585.35 लाख (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सामुख अंकित संलग्न के कालम-5 के विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सामुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल ₹ 2.32 लाख (₹ 20 लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को ही धरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति विभागानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि अदि को कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का युग्मानुसार प्रथम वर्षीयता के आधार पर विस्तार जाय। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर विभागानुसार राहम प्राधिकारी से आवधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राधिकारी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत कार्य है, स्वीकृत कार्य से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।
5. संपुष्ट प्राधिकार को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर विभागानुसार राहम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखी जाएं एवं लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते सगव पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य करने से पूर्व स्थल का गली गॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूमिपूजा के साथ अवश्य करा जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मदों में किया उपलब्ध करा जाय।

आपकी जानकारी के लिये संलग्न में आगणन के अन्तर्गत कार्य के लिये स्वीकृत राशि का विवरण दिया जा रहा है।
 कार्यवाही संख्याओं का निरीक्षण विभाग-1 द्वारा भित्ति सांख्यिक-452/XXV(1) 2005 द्वारा भित्ति आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
 दिनांक 08 अप्रैल 2005
 पता संख्या 140/1/05/06
 दिनांक 31-3-06
 पता संख्या 140/1/05/06
 पता संख्या 140/1/05/06
 पता संख्या 140/1/05/06

साक्षरता देश संख्या- 572/ 111(2)/ 06-08(प्र.आ.) / 06 दिनांक 28 मार्च, 2006 का संलग्नक
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लांबाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्त वर्ष 20-06 व्यय स्वीकृत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	बेनीताल में शनीवाग-गवाली मोटर मार्ग के किमी 5 से 31 में पैसपिट रिटेनिंग चाल, ड्रेडिगेटर इत्यादि	-	51.00	51.00	0.01
2.	हल्द्वानी में ग्राम हिममतपुर मल्ला के आंतरिक मार्ग	3.00	42.60	42.60	0.01
3.	आमेश्वर में कजसूजीताल कौरानी से ग्राम सीमा तक सीसा तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.01
4.	पोड़ी में फूलचट्टी से कोटा तक मोटर मार्ग	9.00	222.25	219.40	0.01
5.	रायपुर-खादर-संझावाला-किन्दूवाला नहरग्राम मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	6.00	111.64	109.00	0.01
6.	मस्टखाल-पुल्हारू-सतिण्डा मोटर मार्ग को 2 किमी 5 एल.सी.आर को मोटर मार्ग में विस्तार (द्वारीखाल)	7.00	172.50	172.50	0.01
7.	पौपलचौरा-कोलागाड मोटर मार्ग का विस्तार (अधहरीखाल)	5.00	69.50	69.50	0.01
8.	अल्मोड़ा घाट मोटर मार्ग चितई पत्त तिराहे से (हरी पत्त पटशाली इटर कॉलेज से आगे) पेटशाल तक के अतिरिक्त मार्ग	8.00	298.36	200.16	0.01
9.	बेनीताल में लोवर शेर का डांडा क्षेत्र में कपूर लॉज तक पेट्टुव मार्ग निर्माण		6.32	5.85	0.01
10.	खो आमरनाथ बांग्रा (गांडल कालोनी में) सी.सी. मार्ग निर्माण	0.150	3.82	3.75	0.01
11.	अल्मोड़ा में चौलादेवी विखो के अन्तर्गत कुशील ड्रेण्ड से तोली-झिंगोली मार्ग का निर्माण	5.00	122.75	89.00	0.01
12.	पोड़ी के अन्तर्गत भातखाल-चांशी मोटर मार्ग	1.00	13.90	13.90	0.01
13.	पयोखा-बलागंगा में झूलापुल	90मी0	87.30	87.30	0.01
14.	गिलांगंगा के अन्तर्गत हैडी बण्ड से रोम-कफोलागांव मोटर मार्ग	5.00	65.20	65.20	0.01
15.	सकरेडा हल्का चाहन लिंक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन	3.25	17.55	17.55	0.01
16.	जनपद पोड़ी में पोड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खोम, झीकांड जामणाखाल, हलानीखाल मोटर मार्ग	13.00	225.50	166.50	0.01
17.	जनपद पोड़ी में दावखाल, अन्दरसी जाप मोटर मार्ग का चौकीकरण एवं विस्तारीकरण	4.00			

[Handwritten Signature]

धरो प्रति स्वीकृत

[Handwritten Signature]

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल: moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN

25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

142

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०३/२५/२०१५/एफ०सी०/११६५

दिनांक: १५/११/२०२०

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-481/X-4-15/1 (275) 2015 दिनांक 30.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal FP/UK/ROAD/9220/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इंटरकालेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:
 - क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.88 हे० अवनत वन भूमि मानिला क०सं० 23 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
 - ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य
 - क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.43875 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
 - ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 433 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेंड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

- 10 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
- 11 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
- 12 गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 13 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 14 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
- 15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
- 16 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 17 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 18 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 19 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
- 20 परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 21 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 22 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 23 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
- 24 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 25 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 26 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 27 अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,


(टी० सी० नोटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।



श्री श्री प्रति स्थापित

वहायक वरिष्ठ

(टी० सी० नोटियाल)



144

ANNEXURE-4



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

E-mail : sepwdalm@rediffmail.com


P.N.:- 05962-230295

पत्रांक:- 7624 / 204 सी0-01 / 2021,

दिनांक:- 22/10 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितईपन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण का पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 2386 / 1 सी0 आगणन, दिनांक 06.10.2021।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितईपन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव नं0 1, जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, आपके द्वारा दी गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर औपचारिक अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

स्वीकृत लम्बाई:- 8.00 किमी0

पुनरीक्षित समरेखण की लम्बाई:- 5.650 किमी0

संलग्न- पुनरीक्षित समरेखण प्रस्ताव 1 नं0।

(इं0 पी0एस0 नबियाल)

अधीक्षण अभियन्ता
22/10/21

प्रतिलिपि:- कनिष्ठ अभियन्ता, (प्राविधिक) प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता

Copy to AED

कोटी प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,

अल्मोड़ा

(TRUE COPY)

Signature



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोडा

145
ANNEXURE R-5

E-mail: sepwdalm@rediffmail.com/sealm.pwduk@gov.in

☎ 05962-230295

पत्रांक 8163/204सी-01/2021-22

दिनांक 06/12/2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद अल्मोडा से अल्मोडा-घाट मोटर मार्ग विस्तार पन्ना तिरुहे से (हरिदत्त फटावाली इटर कॉलेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 572/111 (2)/06-08 (पा०आ०)/06 दि० 28 मार्च, 2006 द्वारा 8.00 किमी० लम्बाई हेतु लागत ₹ 200.16 लाख की प्राप्ति है। शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के कम इस कार्यालय के पत्रांक 1927/204सी०-01/2021-22 दिनांक 03/06/2021 द्वारा 3.250 किमी० लम्बाई एवं लागत ₹ 200.16 लाख मात्र की पूर्ण प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

स्वीकृत समरक्षण में ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद करने के कारण उप जिलाधिकारी रोडर, अल्मोडा एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ हुई बैठक के उपरान्त सहमति के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 7624/204सी०-01/2021 दि० 22/10/2021 द्वारा पुनरीक्षित समरक्षण अनुमोदित किया गया है।

पुनरीक्षित समरक्षण के अनुसार अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोडा द्वारा आगमन पर लम्बाई 3.00 किमी० एवं लागत ₹ 200.16 लाख मात्र (₹ दो सौ लाख एवं सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्राविधिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस कार्यालय ज्ञाप संख्या-1927/204सी०-01/2021-22 दिनांक 03/06/2021 की शेष शर्तें पूर्ण रहेंगी।

यह पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के प्राविधिक पंजिका के क्रमांक 26/2021-22 में पंजीकृत कर ली गयी है।

६०
(मोटर सि०)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, अल्मोडा क्षेत्र, लो०नि०वि०, अल्मोडा।
4. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोडा को आगमन की प्रति एवं प्राविधिक टिप्पणी की प्रति सहित।

संलग्न:- आगमन एवं प्राविधिक टिप्पणी।

5. कनिष्ठ अभियन्ता, प्राविधिक, वृत्त कार्यालय जो आगमन की प्रति सहित।

संलग्न:- उक्तानुसार आगमन प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता
6/12/21
बाल्य

Handwritten signatures and notes including 'Mahalet 260' and 'Rajesh'.

कोटो प्रति सत्यपित

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०.

149

146

विशेष वाहक

ANNEXURE R-6

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोडा

E-mail: sepwdalm@rediffmail.com,

sealm.pwduk@gov.in

☎ 05962-230295

पत्रांक - 32655

/निविदा -01/2021

दिनांक 30/11/2021

सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक हिन्दुस्तान /अमर उजाला,
अल्मोडा।

विषय :- ई- निविदा सूचना के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सलमन ई-निविदा सूचना दिनांक 30/11/2021 से पूर्व सुप्रार्थी संस्कारण में (न्यूनतम पठनीय फाण्ट) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को ई-मेल से/हाठे कॉपी से प्रेषित करते हुए देयक की प्रति भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, अल्मोडा से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलमन - निविदा सूचना।

(मन्मोहर सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
- 4- जिलाधिकारी, अल्मोडा।
- 5- अधीक्षारी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोडा/समीक्षक को इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 30/11/2021 तक निविदा www.aktenders.gov.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। किसी भी विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 6- सूचना पट।

Handwritten notes: 27/11/2021, 4000 pages, number 149

अधीक्षण अभियन्ता

डॉ. शक्ति सत्यपिता

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

147

147



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (E- Tendering)

संयुक्त महोदय उतखण्ड की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा द्वारा निम्न कार्य की निविदा टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के अन्तर्गत ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना <http://www.uktenders.gov.in> पर दिनांक 30/1/2021 से उपलब्ध रहेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा प्रयत्न का मूल्य	प्रतिवर्त धनराशि (लाख रु0 में)	निविदा की देयता (दिवस)	कार्य पूर्ण करने का समय	टेंडरिंग की श्रेणी
1	जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत ज्योली-बरास- खुंट मोटर मार्ग से बरागांव - दरमण मोटर मार्ग के किमी0 2 में 18मी0 स्पानर्सिगल लेन मोटर रोड का निर्माण।	5000.00 + 18% GST	3.22 लाख	120 दिन	15 माह	रोड कार्य में "B" श्रेणी एवं उच्चतर
2	मा0मं0सं0संख्या 200/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र सोरेश्वर में शीतलाखेत-काकडीघाट (गटेला) मोटर मार्ग में जांघरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। लम्बाई 5.00 किमी0	5000.00 + 18% GST	5.77 लाख	60 दिन	15 माह	मार्ग कार्य में पंजीकृत श्रेणी "B" एवं उच्चतर श्रेणी
3	इय योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा ई कितानसगा क्षेत्र अल्मोडा के विलटंघनत शिराह से हरिदस्त पेटशाली इण्टर कॉलेज पेटशाल तक लिंक मार्ग में पार्ट- 1 पार्ट- 11 का निर्माण कार्य (किमी0 1 से 3 कुल 3.00 किमी0)।	5000.00 + 18% GST	3.20 लाख	120 दिन	15 माह	मार्ग कार्य में पंजीकृत श्रेणी "B" एवं उच्चतर श्रेणी
4	जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड द्वाराहाट में छन्डीसा -बगालीपाखर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं जांघरीकरण का कार्य। लम्बाई 6.20 किमी0।	5000.00 + 18% GST	6.75 लाख	60 दिन	18 माह	मार्ग कार्य में पंजीकृत श्रेणी "A" एवं उच्चतर श्रेणी

कोशे प्रति सत्यापित

[Signature]

सहायक अभियन्ता,
विभागीय खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोडा

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

EXTRACT COPY OF BOND

Contract Bond No...01/SE-01/22

Dated 7-5-2022

Name of work जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोडा के चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिक मोटर मार्ग में पार्ट 1 पार्ट 11 का निर्माण कार्य (किमी0 1 से 3 कुल 3.00 किमी0)।

Name of Contractor श्री शिवराज सिंह कनीला

Special Conditions General Condition of S.B.D. M.F.83 M.F.83 f no 79/97

Estimated Cost Rs.- 16135346.06


Tendered Cost Rs.- 16085405.14

Date of Start.- 7-05-2022

Date of Completion- 6-08-2023

Performance Security- 807000.00 vide rs 807000.00

Tdr no 0403892 f/c-807000.00 dt 26-04-2022



It is certified that agreement of the above work in favour of the above contractor containing pages 1 to...160..... has been checked by me and it is in accordance with terms & conditions agreed upon. according to tender advisory committee. Tender should be published only after Technical sanction. BOQ or schedule 'B' should be revised after publication of tender.

Bond Prepared by me
(Camp clerk)

Divisional Accountant

श्रीमती मति कल्याण

E. E.

सहायक अभियन्ता.

विभाग अण्ड, बी.बी.बी.

150

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

ANNEXURE R-8

E-mail-eccdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 34/1 / 3सी (व.भु)

दिनांक 07 / 11 / 2022

✓ सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्ना से हरदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 43875 हे0 वनभूमि तथा गैर जानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ता सं0-9220/2015)।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्र सं0 -8वी0/यू0सी0पी/125/2015/एफ0सी0/1765 दिनांक-17.11.2020 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन निम्नवत है।

क्रसं0	अधोरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 -1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अधिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त सं0 -2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	प्रतिकूल वनीकरण:- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अधिकरण की लागत पर 4.88 हे0 अवनत वन भूमि मानिला क्र.सं0 23 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बनें। (ख) वन गंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 -3 प्रतिपूरक वनीकरण- क- आपके प्रमाण से सम्बन्धित है ख- आपके प्रमाण से सम्बन्धित है
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राकथान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त सं0 -4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि-16,45,458.00(सोलह लाख पैतालिस हजार चार सौ अठ्ठावन रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में वालाग के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति सलग्न है। (संलग्न-1) शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर	शर्त सं0-5 शुद्ध वर्तमान मूल्य 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि

H

✓

Mahata

Signature

Signature

डॉ. प्रती सत्यपि

Signature

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

	556 दिनांक-30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2009	₹0-16,02,259.00(सोलह लाख दो हजार दो सौ
	द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006- एफ0सी0 दिनांक-03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0, दिनांक- 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत - 2.43875 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्न-1) 5(ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की बड़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्न-2)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 433 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सं0-6 के अनुपालन में 433 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं0-7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	शर्त सं0-8 के अनुपालन में आईआरसी मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
9	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं0-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0-10 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए	शर्त सं0-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति

11

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

श्री 00 शक्ति कल्प

[Handwritten signature]

	राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षा की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षा की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त सं0-24 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः अनुरोध करना है कि मोटर मार्ग के वनगुमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रतः कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न- प्रस्ताव 4-4 प्रति में।

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग,
अल्मोड़ा

पत्रांक / 3सी.(व.गु.) दिनांकित।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरा नगर फोरस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग,
अल्मोड़ा

श्री 0 शक्ति सत्यपि

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/125/2015/एफ0सी0/1449

दिनांक: 25/01/2023

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद - अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
243875 है० वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (online no.
FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 3329/12-1,
अल्मोड़ा, दिनांक 31-12-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में हुए उल्लंघन की सूचना दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.ए. संख्या 614/2022 माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली के समक्ष चितई मंजोली पेटशाल एनएच के प्रस्तावित 6 किलोमीटर के निर्माण हेतु जेसीबी का उपयोग करके वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में दायर किया गया है। प्रकरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9220/2015 से संबंधित है जिसे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.11.2020 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्तावित संरक्षण के केएमएल पर जमीनी स्तर पर किए गए कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संरक्षण में बदलाव दिखाई दे रहा है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है। अतः अमुख प्रस्ताव में केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नानुसार दस्तावेज/ जानकारी/ स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें :-

- 1: Guidelines के दिशानिर्देश पैरा 1.21 के दृष्टिगत राज्य सरकार संरक्षण में दिखाई दे रहे बदलाव में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।

श्री प्रति मत्यापि

सहायक अधिकारी,
विशेष उप-बोर्ड, वी०न०

154

106027 25/10/23

file:///C:/Users/user/Downloads/9220_nip

2. संरक्षण में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि मार्ग काटने का काम स्टेज-2 की मंजूरी या प्रभागीय वनाधिकारी से कोई कार्य अनुमति लिए बिना शुरू किया गया था। यह भी बताया गया है कि संरक्षण में बदलाव को पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा डेकेंदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

Prakash
 (गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
 सहायक महानिरीक्षक (वन)

कोटो प्रति सत्यपिब

[Signature]
 सहायक बोधयन्त्रा,
 विद्यालय संघ, बो.वि.वि.
 बल्बोडा
 TRUX COPY 11

[Signature]

155

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 3717 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 27-01-2023

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में चितई पंत से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कॉलेज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43875 है० वन भूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ - भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१२५/२०१५/एफ०सी०/१४४९ दिनांक २५.०१.२०२३।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्ताव में निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा स्थगित कर दी गयी है। साथ ही अपने पत्र के माध्यम से ०३ बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या व अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः आप संदर्भित पत्र के क्रम में कार्यवाही करते हुए तीन बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण/अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-भारत सरकार का पत्र।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 3717 /12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि विषयक मोटर मार्ग में संरेखण परिवर्तन की कार्यवाही कर जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-भारत सरकार का पत्र।

AET/amt/5




प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

श्री श्री प्रति स्थापित


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा
E-mail-eccdalmorapwd@rediffmail.com



ANNEXURE R-10

पत्रांक- 978 / 2ती (की) अरु

दिनांक 23/03/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (Proposal No. FP/UK/Road/9220/2Q15)

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-3717/12-1 (2) अल्मोड़ा दि० 27.01.2023 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-8वी / यू०सी०पी० / 06 / 125 / 2015 / एफ०सी० / 1449 दिनांक 25.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से तीन बिन्दुओं पर दस्तावेज/जानकारी/स्वष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, जो निम्नानुसार है- बिन्दु सं० 1- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के वन संरक्षक एक्ट 1980 के कॉमन Guidelines के पत्रांक-F NO 11-42-FC दि० 29.01.2018 के तहत पैरा 1.21 का उल्लंघन नहीं किया गया है। उपरोक्त मोटर मार्ग के समरेखन में दिखाई दे रहे बदलाव मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 1 किमी० तक ट्रैसकट/सड़क कटान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा पूर्व स्वीकृति समरेखन के तहत किया गया है तथा उसके आगे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समरेखन बदलने हेतु विवाद किया गया है।

उपजिलाधिकारी, सधर अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं०-1059/विविध पत्रा०-बै०सहा०/2019-20 दि० 22.07.2021 में अंकित विषयक "चितई पेटशाल-मन्थोली मोटर मार्ग के निर्माण सर्वे किये जाने के सम्बन्ध में" अवगत कराया गया है कि "उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्थोली सड़क निर्माण का दि० 05.04.2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में प्रधान, ग्राम पंचायत चितई तिवारी, विकासखण्ड हवालबाग, जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विवादित क्षेत्र के विकल्प के तौर पर ग्रामीण जिनके कब्जे/स्वामित्व में यह वैकल्पिक क्षेत्र है, को सड़क निर्माण हेतु देने को तैयार हैं। उक्त सड़क निर्माण कार्य का सर्वे कर निर्माण कार्य शुरू कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः पत्र की प्रति आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में सर्वे कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें "(संलग्नक-1)।

उक्त मार्ग पर श्री राशेश भरत विसंजी पुत्र श्री भरत विसंजी ग्राम चितई पन्त जिला अल्मोड़ा द्वारा दि० 05.06.2021 को मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) अल्मोड़ा में विषयक मार्ग के पूर्व स्वीकृत समरेखन को, अपनी निजी भूमि से बदलने हेतु वाद सं०-11/2021 दायर किया गया (संलग्नक-2)। जिस कारण समरेखन में आंशिक बदलाव नाप भूमि में किया गया है जो कि पुनः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा स्वीकृत समरेखन से जोड़ दिया गया है। संशोधित समरेखन पूर्ण रूप से ग्रामीणों की नापभूमि में किया गया है। वनभूमि में समरेखन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

Letter 2022

बोटी प्रति कल्पित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र सं०-1057/विविध पत्रा०-वै०सहा० /2019-20 दि० 01.07.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि "जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा द्वारा तहसील अल्मोड़ा अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्वोली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी, महोदय अल्मोड़ा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी द्वारा तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई-पेटशाल-मन्वोली सड़क निर्माण का संयुक्त निरीक्षण हेतु दि० 05.07.2021 की तिथि नियत की जाती है।" (संलग्नक-3)

उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देश के क्रम में तहसीलदार अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक-1710/वि०/2020-21 दि० 09.07.2021 द्वारा दि० 05.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण आख्या उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी। जिसमें लोक निर्माण विभाग के मौके पर उपस्थित अधिकारियों से उक्त मोटर मार्ग के पुनः सर्वेक्षण के लिए कहा गया है " (संलग्नक-4)।

समस्त ग्रामीण मन्वोली, पताल देवी द्वारा दिनांक 06.08.2021 को चितईपंत तिराहे से पेटशाल लिंक मोटर मार्ग का समरेखन विवादित क्षेत्र से बदल कर, निर्माण प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक-495/चौबीस-LAC/20-21 दि० 16.08.2021 द्वारा प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया, तत्पश्चात् उपजिलाधिकारी सदर अल्मोड़ा के पृष्ठांकन संख्या 2282/वि०/2020-21 दिनांक 17.08.2021 द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अल्मोड़ा एवं अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-5)।

प्रधान ग्राम पंचायत चितई तिवारी, जिला अल्मोड़ा एवं समस्त ग्रामवासियों के पत्र दि० 08.09.2021 (संलग्नक-6) द्वारा तत्कालीन मा० उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी से विषयक मार्ग निर्माण हेतु अवगत कराया गया है कि पूर्व समरेखन में वाद व विवाद होने के फलस्वरूप राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त मार्ग के समरेखन में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसका प्रस्ताव, ग्राम सभा की आम बैठक में सर्वसहमति से पारित किया गया है तथा उक्त सर्वे परिवर्तन के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लो०नि०वि० अल्मोड़ा को निर्देशित करने की कृपा करे, जिसके क्रम में तत्कालीन मा० उपाध्यक्ष विधानसभा, उत्तराखण्ड श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी द्वारा अपने पत्र सं०-1863 मा०उपा०/वि०स० देहरादून, उत्तराखण्ड दि० 09.09.2021 के क्रम में चितई-पेटशाल-मन्वोली मोटर मार्ग के पूर्व सर्वे कार्य में आंशिक परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया (संलग्नक-7)।

मा०न्यायालय सिविल जज जू०डि० अल्मोड़ा द्वारा दीवानी वाद सं०-11/2021 श्री राशेश भरत विसंजी पुत्र श्री भरत विसंजी बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य के सम्बन्ध में दि० 04.03.2022 को आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रतिवादी विभाग द्वारा लिखित तौर पर अभिकथन कर दिया गया है कि उनके द्वारा मोटर मार्ग का नया एलाइन्मेंट तैयार कर लिया गया। जिससे वादी की भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। अतः वाद निस्तारित की जाती है (संलग्नक-8)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशों के क्रम में संसोधित पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव हेतु राजस्व उपनिरीक्षक चितई की उपस्थिति में सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए संसोधित पुनरीक्षित समरेखन प्रस्ताव गठित किया गया। जिसका अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के पत्रांक-7624/204सी०-01/2021 दि० 22.10.2021 द्वारा किया गया (संलग्नक-9)।

डॉ० शक्ति लक्ष्मि

बहायक अभियन्ता,
नियंत्रण वृत्त, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

पूर्व अनुमोदित संरक्षण में परिवर्तन गैर वनभूमि पर ही किया गया है जिसकी पुष्टि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा गठित जाँच समिति के स्थलीय निरीक्षण आख्या दि0 09.11.2022 के द्वारा भी की गयी है (संलग्नक-10)।

संसोधित पुनरीक्षित समरक्षण केवल नाप भूमि में किया गया है। वन क्षेत्र में संरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस हेतु ग्रामीणों की सहमति प्राप्त है (संलग्नक-11)। संसोधित पुनरीक्षित समरक्षण में पूर्व अनुमोदित संरक्षण की तुलना में कम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। संसोधित समरक्षण में चितई पन्त, चितई तिवारी, चितई बाड़ी, पातालदेव आदि ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन करते हुए विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-3414/3सी0 व0भू0 दि0 07.11.2022 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को आनलाईन प्रेषित किया गया है (संलग्नक-12)। अल्मोड़ा-घाट (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 बी के चितई से पेटशाल विशेषकर कालीघार नामक स्थान पर मार्ग का ग्रेड चौड़ाई, कर्व आदि अत्यधिक खराब होने के कारण विगत 15 वर्षों में ही मार्ग दुर्घटना के कारण लगभग 50 से ज्यादा मौते हो चुकी हैं। (समाचार पत्रों की छायाप्रति संलग्नक-13) यदि चितई पन्त तिराहे से पेटशाल तक नये मार्ग का निर्माण किया जाता है तो इस मार्ग के निर्माण के पश्चात् इस प्रभाग में एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त होगा। जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ सुरक्षित यातायात की सुविधा प्राप्त होगी।

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक/लिक मोटर मार्ग एक महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है। जिस हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिशीघ्र मार्ग निर्माण हेतु निरन्तर निवेदन किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम चितईपन्त, चितई तिवारी, मन्वोली, पूनाकोट, पेटशालबाड़ी, पातालदेव आदि ग्रामवासियों को शिक्षा, चिकित्सा एवं कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा एवं पलायन भी रुकेगा।

श्री राशेश बी विशानजी एवं अन्य द्वारा दि0 17.05.2022 को चितई-मन्वोली पेटशाल मोटर मार्ग के कार्य को रूकवाये जाने व मार्ग की जाँच करवाये जाने बाबत चेयरमैन राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था। जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दि0 06.01.2023 को आदेश पारित किया गया। जिसके बिन्दु सं0-8 में "in their reply/response the respondents shall give requisite details regarding action plan formulated for compensatory afforestation, budgetary provisions made, the species to be planted, particulars of land selected for afforestation, specific timeline for said plantation and steps to be taken for protection of the trees planted and also for their maintenance for ensuring survival thereof." को दो महीने में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी Guidelines के दिशा निर्देश पैरा 1.21 का उल्लंघन नहीं माना गया है (संलग्नक-14)।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 बी में अत्यधिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए केवल नाप भूमि में आंशिक परिवर्तन कर संसोधित पुनरीक्षित समरक्षण प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। समरक्षण में आंशिक परिवर्तन जन भावनाओं एवं सड़क के महत्त्व को देखते हुए गैर वनभूमि में किया गया है। इसमें विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

कोटो प्रति सत्यपित

सहायक सचिव-
विभाग सड़क, डी०नि०न०-
अल्मोड़ा

बिन्दु सं० 2- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समरेखन में परिवर्तन हेतु संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-15)।

बिन्दु सं० 3- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डेकेंदार को जारी विभिन्न अनुमतियों की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-16)।

अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से सादर अनुरोध है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उपजिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा के निर्देशानुसार एवं ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 वी में अत्यधिक दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विषयक मार्ग की रौढ़ान्तिक स्वीकृति पर स्थगन आदेश को निरस्त करने की सन्तुति करते हुए मार्ग निर्माण की मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें ताकि अतिशीघ्र सड़क का निर्माण किया जा सके एवं क्षेत्रीय जनता को सड़क मार्ग का लाभ पहुंचाया जा सकें।

(इ० आशुतोष कुमार)

अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रतिलिपि-भारत सरकार पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

Signature

प्रो० प्रति सत्यपिता

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

अल्मोड़ा

6-TRU COPY

160

ANNEXURE R-11

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.2321-22ई-मेल almorustorestdivision@rediffmail.com

पत्रांक

4092 / 29-1

अल्मोड़ा

दिनांक

17-2-2023



प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 वाद संख्या 614 / 2022 राशीष बी0 विसान्जी व अन्य वनाम उत्तराखण्ड राज्यादि। (Online No. FP/UK/ROAD/9220/2015)

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 527 / 29-3(3) दिनांक 11.01.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 08.01.2023 के बिन्दु संख्या 08 के क्रम में मांगी गयी सूचना के क्रम में आपको अवगत कराना है कि विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कुल प्रभावित भूमि 2.43875 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। जिसमें प्रस्ताव के अनुसार 0.27 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 है0 सिविल सोयम भूमि व 0.17 है0 वन पंचायत भूमि सम्मिलित है। प्रस्ताव में आपके द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत है।

Sr.No.	Points	प्रत्युत्तर
1	Compensatory afforestation	प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु मांगित क्षेत्रफल 23 में 4.88 है0 भूमि चयनित की गयी है। जिससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न किये गये हैं। संलग्नक-1
2	Budgetary provisions made	सी0ए0 किये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा 3,37,184.00 रू0 की दर से रूपया 16,45,458.00 रू0 ऑनलाईन चालान जनरेट कर जमा कर दिये गये हैं। संलग्नक-2
3	The species to be planted	वांज, फल्याट, तेजपात, माल्टा, नीबू, उतीस, भीमल, दाड़िम आदि।
4	Particulars of land selected for afforestation	मानिला क0स0 23 में 4.88 है0
5	Specific timeline	प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 01 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कार्य कर लिया जायेगा।
6	Steps to-be taken for protection of the trees planted.	रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण योजना में क्षेत्र के चारों तरफ दीवारबंदी का प्राविधान रखा गया है व सुरक्षा दीवार के बाहर 04 मीटर की पट्टी की समय-समय पर सफाई की जायेगी।
7	Maintenance	अनुसूक्षण कार्य के अन्तर्गत वर्ष में 02 बार निराई-गुड़ाई का कार्य किया जायेगा साथ ही क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घासफूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 4092 / 29-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0पि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

योगे प्रति स्वरूपित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड अल्मोड़ा

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चित्तई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाही इण्टर कालेज से आगे) पेटशाह तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण। (अर्थात् 6.00 किमी०)

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का प्राथमिक स्तर का अनुमान

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम-जोरखी रेन्ज आरक्षित वन यादिका, कटरा-23		वेतफल (हे०)	4.8800	
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे/हे०)		5368	1100	
क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई (हे०/सं०)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.8800	97.00	473.36
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8800	7137.00	34828.56
3	अग्नि दीवाल बन्दी (फॉन्सिंग)	4.8800	39895.00	194687.60
4	मृदा एवं जल संस्करण एवं संयोजन हेतु कच्चे चाल-खातों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्यों हेतु प्राविधान	4.8800	6900.00	33672.00
5	गन्धक सुप्ला (0.30X0.30X0.45)	5368	7.33	39347.44
6	निरीक्षण बटिया बनाना	4.8800	485.00	2366.80
7	पौधों का मूल्य	5368	5.89	31617.52
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, साँवन्त्र, औजारों का रखरखाव एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.8800	400.00	1952.00
9	अन्य कार्य	4.8800	800.00	3904.00
योग :- (प्रथम चरण)				342849.28
द्वितीय चरण				
1	गुड़ा भरान (0.30X0.30X0.45)	5368	1.15	6173.20
2	पौधों का मूल्य	5368	1.15	6173.20
3	पौधे लुलान कार्य	5368	6.39	34301.52
4	पौधा रोपण व धारणकर्तव्य	5368	2.06	11058.08
5	गिराई, गुड़ाई व मलिन्य (दो बार)	5368	0.76	4079.68
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8800	420.00	2049.60
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	12 Month	5100.00	61200.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदाओं को हटाना प्रति हे०	4.8800	350.00	1708.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/बेरबंद के बाहर क्षति की वट्टी साफ करना	4.8800	515.00	2513.20
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले जमीनों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्कृष्टता कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.8800	585.00	2854.80
9	अन्य व्यय साइज बोर्ड, चौड़ा लुलान हेतु टेंकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के मसने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फ्रील्ड स्थलीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेन्टेशन आदि कार्य	4.8800	499.00	2435.12
10	अन्य कार्य	4.8800	800.00	3904.00
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				138450.40
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदाओं को हटाना प्रति हे०	4.8800	260.00	1268.80

(Handwritten Signature)

कोशे प्रति सुरक्षित

सहायक आयुक्ता,
विभाग लण्ड, सोनीवा

	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4000 पट्टी स्टाफ करना	4.8800	255.00	1244.40
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले प्राणीयों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तिगत/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.8800	450.00	2196.00
3	अन्य कार्य	4.8800	800.00	3904.00
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				69813.20
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (नवें वर्ष रख-रखाव)				63640.00
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	5100.00	61200.00
2	अन्य कार्य	4.8800	500.00	2440.00
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)				63640.00
कुल योग :-				1123872.88
या :-				1123900.00

श्री श्री भक्ति सत्यपिठ

सहायक वनविभागा.

अध्यक्ष वनविभागा, 10 वन विभाग
वृक्षारोपण वन विभाग, आर्य समाज, दिल्ली

10

Signature

अध्यक्ष
वन विभाग

अनुभाष

AGENCY COPY	
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund	
Date : 16-03-2021	
Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6192200081
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/125/2015/FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	3267717/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)
Amount in Words:Thirty-Two Lakh Forty-Seven Thousand Seven Hundred and Seventeen Rupees Only	
Depositor Signature (Signature)	Bank Officer (Signature)
Bank's Transaction Number	Branch Stamp
<ul style="list-style-type: none"> • Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction • Challan should only be accepted against INST/DD. • Enter the Remitter Name in Additional Information 1 	

forests@clearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD92:

फोटो प्रति स्वीकृत

HJ

सहायक अभियन्ता,
निर्माण विभाग, वाराणसी।
वाराणसी

TRUE COPY

Signature

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962 230065, फ़ैक्स : 05962 232182 ई-मेल almorafortestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5076 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 15-3-2020

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में चितई पत्त से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज के निर्माण हेतु 2.43875 हे0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - आपका पत्रांक 2011/3सी(ब0भू0 दिनांक 18.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	विवरण	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.43875 हे0 इको क्लास- 5 घनत्व-0.3	657000.00 प्रति हे0	1602259.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.88 हे0	337184.00 प्रति हे0	1645458.00
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	-	-	-
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	-	-	-
5	100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	-	-	-

अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अदागत कराने का कष्ट करें। तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार अन्य शर्तों का भी अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Mohat

Mohat

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

दोशे शक्ति सत्यपित

THK

THK

THK

165 10

AGENCY COPY

Ballot for collection of S.I. from CAMA Unit

Date: 08-01-2024

Client Code	CAMA009
Location	001254246143
Donor Name	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMOHA
PR Application No.	615/200004
Res. T. No. / No. No.	30730/000125/2915010
Address	Construction Division PWD Zones AlmoHA
Donor's Contact No. Fax No. Mobile No. Landline No.	001254246143 9759852120 9962230094
Account No.	50477475
Beneficiary Details and code	Corp Bank Lodin complex 0371

Amount in Words: Thirty Two Lakh Forty Seven Thousand Seven Hundred and Seventeen Rupees Only

Expenditure Function / Category

Bank's Branch Name

Branch Name

- Cheque must be made in the name of (C.I.D. & C&P)
- In presence of the Branch Officer
- Cheque should only be accepted against PF (101)
- Enter the Donor Name in Additional Information 1

Security Issue: No. 001254246143/000125/2915010/000125/2915010

AGENCY COPY

Branch Name

श्रीधर शक्ति सत्यपिता

सहायक वरिष्ठ अधिकारी

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
दूरभाष कार्यालय 05962-230085, फ़ैक्स: 05962-232187 ई-मेल: almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 414 / 9-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 20-7-2022

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास, प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, ~~अल्मोड़ा~~

विषय:- लॉट सं० 45 / 2022 का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लॉट सं० 45 / 2022-23 से सम्बन्धित कुओं की छपान सूची निम्न प्रकार आवंटित की जा रही है। कृपया उपरोक्त लॉट को अपने अधिकार में लेकर शीघ्र कार्य करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	लॉट सं० एवं वर्ष	राजि का क्रम	स्वातंत्र्य / क्षेत्र का नाम
	45 - 2022-23	अल्मोड़ा वन प्रभाग	स्वातंत्र्य पत वन प्रभाग, अल्मोड़ा विभाग का नाम

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भारतीय
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 414 / 9-1(3) दिनांक

प्रतिबिधि - निम्न को लॉट की छपान सूची की प्रति संलग्न कर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वन संरक्षक, उत्तरी घुमौल वृक्ष, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
- 2- उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग।
- 3- वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग को सूचनाार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Mohat
Shroff

श्री श्री प्रति मृत्युपि

सहायक वनियन्ता,
विभाग उण्ड, सो.वि.वि.

Signature

...पर है
...गया है कि
... है।

167

ANNEXURE R-14

प्रमाणित प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा।

पता: उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा

Ph No. (05962) 234117

E-Mail: xanxikasalmora@rediffmail.com

पत्तिका: विकास कार्य प्राकलन /

दिनांक: - 08 - 2021

विषय:

प्रभागीय अधिवक्ता
निर्माण लण्ड, लोन्निविडि
अल्मोड़ा

विषय: विकास कार्य के अन्तर्गत (वित्तई पत्र से हरिद्वार पेटशाल तक मोटर मार्ग) लोट सं० 45/22-23 के
प्रकाशन वन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक का मैं विकास कार्य के अन्तर्गत (वित्तई पत्र से हरिद्वार पेटशाल तक मोटर मार्ग) लोट सं० 45/22-23 के प्रमाणित प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वारी द्वारा स्वीकृत दस्तों के आधार पर प्राकलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त दस्तों के आधार पर अनुमानित उत्पादित होने वाली प्रकाश/जलीनी की मात्रा के आधार पर आगणित धनराशि रु० 22,20,000.00 (बीस लाख अठ्ठार हजार इकानवे) रु० मात्र इस प्रमाण के पूर्व सूचित चालू खाता सं० जो प्रभागीय वन विकास निगम उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा के पद नाम से है में धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

आगणित का नाम	प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा
बैंक का नाम	नेशनल बैंक लि०, अल्मोड़ा
आगणित संख्या	0021000000020495
आगणित के लिये कोड सं०	NIBL0ALM002
आगणित लि०	05AAALU00009MO2G

इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि उक्त धनराशि प्राकलन में उल्लिखित अनुमानित उत्पादन मात्रा के आधार पर आगणित की गयी है। वास्तविक उत्पादन के परभाव उत्पादित प्रकाश की मात्रा में कुल प्राप्त करने योग्य धनराशि में कमी या वृद्धि दोनों में जो अन्तर्गत नया धनराशि की वापसी / पुनः शेष धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विषय मूल्य की धनराशि वापसी के सम्बन्ध में सूचित किया जाएगा।

आगणित का नाम: उत्तराखण्ड वन विकास निगम

भवदीय

प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक, अल्मोड़ा।

Mahat

Mahat

Mahat

Mahat

Mahat

कोटो प्रति सत्यपिठ

बहुाधिक शाखापन्डा,
निर्माण लण्ड, लोन्निविडि,
अल्मोड़ा

ETRox Copy

168

कार्यालय प्रामाणिक लौहमिण प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा
श्री० प्रबन्धक कु००१० की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत दरों के आधार पर कुल व्यय का विवरण

विकास कार्य के अर्चागत (चित्तई पत्त तिराहे से हरिद्वल भेटशाल तक मोठमार्ग लीर ल० २०/११/१३)

अनुमानित उत्पादन प्रकाश (मात्रा प००१० में)

₹ 2,50,000

कार्यदायी संस्था

क्रम सं०	व्ययों का विवरण	पन्नासं०
1	प्रकाश कलम व्यय	₹ 2,50,000.00
2	प्रकाश आफ्टोड दुलान व्यय	₹ 2,50,000.00
3	प्रकाश टुक दुलान व्यय	₹ 2,50,000.00
4	श्रमिक व्यय/ औजार भरम्मा/ एवं औजार कय व्यय	₹ 2,50,000.00
5	स्टेशनरी व्यय	₹ 2,50,000.00
6	मिरीसन व्यय / याहन व्यय	₹ 2,50,000.00
	योग	₹ 15,00,000.00
7	जी०एस०टी० का प्रतिशत	₹ 2,50,000.00
	कुल पन्नासं०	₹ 17,50,000.00

प्रामाणिक लौहमिण प्रबन्धक अल्मोड़ा

MF

✓

Mahat

Haraj

Legat

श्री० पति सत्यपित

✓

सहायक अभियन्ता,
विर्वाण खण्ड, बा०वि०वि.
धन्वोडा

169

Bill Date: 22/08/2021

बिल का प्रकार

विवरण देना है

(को-ऑपर - 365, 399, 478, 100, 012, 013)

1. माल/सेवा का नाम
2. माल/सेवा का प्रकार
3. माल/सेवा का बिल नंबर
4. माल/सेवा का स्थान
5. माल/सेवा का मालिक का नाम
6. माल/सेवा का मालिक का पता
7. माल/सेवा का मालिक का फोन नंबर
8. माल/सेवा का मालिक का ईमेल
9. माल/सेवा का मालिक का बैंक खाता नंबर
10. माल/सेवा का मालिक का बैंक का नाम
11. माल/सेवा का मालिक का बैंक का शाखा का नाम
12. माल/सेवा का मालिक का बैंक का शाखा का पता
13. माल/सेवा का मालिक का बैंक का शाखा का फोन नंबर
14. माल/सेवा का मालिक का बैंक का शाखा का ईमेल
15. माल/सेवा का मालिक का बैंक का शाखा का वेबसाइट

1	0	3												
3	7	0	0											
2	9	0												
0														
5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	1	0	1	5	4
1	2	3	4											

विवरण देना है	
माल/सेवा का नाम	(5054) माल/सेवा का नाम देना है
माल/सेवा का प्रकार	(0001) माल/सेवा का प्रकार देना है
माल/सेवा का बिल नंबर	(1122) माल/सेवा का बिल नंबर देना है
माल/सेवा का स्थान	(0000) माल/सेवा का स्थान देना है
मालिक का नाम	(0000000000) मालिक का नाम देना है
मालिक का पता	(0000000000) मालिक का पता देना है
मालिक का फोन नंबर	(0000000000) मालिक का फोन नंबर देना है
मालिक का ईमेल	(0000000000) मालिक का ईमेल देना है
मालिक का बैंक खाता नंबर	(0000000000) मालिक का बैंक खाता नंबर देना है
मालिक का बैंक का नाम	(0000000000) मालिक का बैंक का नाम देना है
मालिक का बैंक का शाखा का नाम	(0000000000) मालिक का बैंक का शाखा का नाम देना है
मालिक का बैंक का शाखा का पता	(0000000000) मालिक का बैंक का शाखा का पता देना है
मालिक का बैंक का शाखा का फोन नंबर	(0000000000) मालिक का बैंक का शाखा का फोन नंबर देना है
मालिक का बैंक का शाखा का ईमेल	(0000000000) मालिक का बैंक का शाखा का ईमेल देना है
मालिक का बैंक का शाखा का वेबसाइट	(0000000000) मालिक का बैंक का शाखा का वेबसाइट देना है

बिल की कॉपी का विवरण			
माल/सेवा का नाम	बिल नंबर	बिल की कॉपी का मालिक का नाम	बिल का मालिक का नाम
54-प्रीम टायर	22/08/2021	22/08/2021	0

बिल का विवरण	
माल/सेवा का नाम	बिल नंबर
54-प्रीम टायर	22/08/2021
66-बिल की कॉपी का मालिक का नाम	22/08/2021
(बिल का मालिक का नाम)	

ONLY FOR OFFICIAL USE

बिल का विवरण	
बिल का मालिक का नाम	बिल का मालिक का नाम
22-बिल का मालिक का नाम	
99-बिल का मालिक का नाम	22/08/2021

Handwritten signatures and marks: *Mahat*, *Hrauf*, *Sagun*

कोटो प्रति स्थापित
 सहायक बांधकाम,
 विभाग, रा.नि.वा.व.
 बलराम

